V-120
Cr-J. (E)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEFURE CODE, 1898

In the Court of **Rakesh Bhide** Judicial Magistrate **First** Class **Kasrawad**

Case No 688/22 Complaint or report made on 14/09/22 Name and address of the complainant शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र कसरावद

म.प्र. राज्य द्वारा थाना कसरावद विरूद्ध उमेश

Name, parentage, caste and address of accused

नाम उमेश पिता आत्माराम उम्र 42 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम बलखड़ तहसील कसरावद जिला खरगोन

The offence complained of, and date of, its alleged commission-

आपने दिनांक 14/09/22 को 17/10 बजे थाना कसरावद स्थित स्थान ग्राम बलखड़ के [illegible] जो कि लोक स्थान है पर अंकों के माध्यम से रूपयो की हार–जीत का दाव लगाकर कौशल के खेल से भिन्न का खेल खेलकर जुआ खेला। इसके द्वारा आपने धारा 04 सार्वजनिक धूत अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया ,जो कि इस न्यायालय के सज्ञान के अधीन है । अत क्या आप दोषी होने का अभिवाक् करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो ?

(राकेश भिड़े)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद

The plea of the accused and his examination (if any)

अभियुक्त की प्ली
अपराध स्वीकार है
उमेश

(राकेश भिड़े)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद

The offence proved, of any, and in case under clause. (d) clause (e) clause (f) or clause (g). of Sub-section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

: : निर्णय : :

// आज दिनांक 11 / 10 / 22 को घोषित //

1. अभियुक्त / अभियुक्तगण के प्रकरण में संक्षिप्त प्रकिया अपनायी जाकर अभियुक्त को धारा 4 (क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के तहत अपराध की विशिष्टिया पढकर सुनाये व समझाये जाने पर उन्होंने उक्त अपराध किया जाना स्वीकार किया। अभियुक्त की स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से की जाना प्रतीत होती है।

2. अभियुक्त / अभियुक्तगण को अपराध की स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए धारा 4 (क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है अत: अभियुक्त को धारा 4 (क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एव रूपये 1000/- के अर्थदण्ड (अक्षरी रूपये) एक हजार से दण्डित किया जाता है।

3. अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगताई जावे।

4. प्रकरण मे जप्तशुदा नगदी रूपये 2465 /- राजसात हो व विधिवत जमा हो तथा अन्य उपकरण आदि मुल्यहीन होने से बाद अपील अवधी पश्चात् नष्ट हो तथा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही हो ।

निर्णय खुले न्यायालय मे दिनांकित
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

(राकेश मिड्डे) 11/10/22
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद

मेरे उदबोधन पर अंकित
किया गया।

(राकेश मिड्डे) 11/10/22
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद